दिनांक 15.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 266/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के निधन पर उनकी स्मृति में पुलिस मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन

आज दिनांकः 15.05.2026 को पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ स्थित सभागार में श्री आनन्द लाल बनर्जी, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक के दिनांकः 06.05.2026 एवं श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक के दिनांकः 29.04.2026 को हुये निधन के परिपेक्ष्य में शोक–सभा का आयोजन किया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण द्वारा दिवंगत पुलिस अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

स्वर्गीय आनन्द लाल बनर्जी जी का जन्म 26 दिसम्बर, 1954 को जनपद लखनऊ में हुआ था। वह वर्ष 1979 में "भारतीय पुलिस सेवा" चयनित हुये। प्रशिक्षण के उपरान्त वह प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त रहें। दिनांकः 28.02.2014 को वह पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पद पर नियुक्त हुये तथा यहीं से दिनांकः 31.12.2014 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त हुये। स्वर्गीय आनन्द लाल बनर्जी जी का दिनांकः 06.05.2026 को दुःखद निधन हो गया।

स्वर्गीय आनन्द लाल बनर्जी जी ने सेवाकाल में पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य सम्पादित कर पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया। उनका लगभग 35 वर्षों से अधिक का सेवाकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। सेवाकाल के दौरान उन्हें गणतंत्र दिवस 2002 के अवसर पर ''दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक'' तथा गणतन्त्र दिवस 2009 के अवसर पर "विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक" से सम्मानित किया गया है। वह अपनी उपलब्धियों के लिये सदैव हमारी स्मृति में बने रहेंगे।

स्वर्गीय सुभाष चन्द्र गुप्ता जी का जन्म 13 मार्च, 1948 को जनपद एटा में हुआ था। वर्ष 1973 में "प्रान्तीय पुलिस सेवा" में चयनित हुये। प्रशिक्षण के उपरान्त प्रदेश में विभिन्न पदों पर नियुक्त रहे तथा वर्ष 1989 में "भारतीय पुलिस सेवा" में प्रोन्नत होकर विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुये दिनांकः 31.03.2008 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त हुये। सुभाष चन्द्र गुप्ता जी का दिनांकः 29.04.2026 को दुःखद निधन हो गया।

स्वर्गीय सुभाष चन्द्र गुप्ता जी ने सेवाकाल में पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य सम्पादित कर पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया है। उनका लगभग 34 वर्षों से अधिक का सेवाकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। सेवाकाल के दौरान उन्हें स्वतंत्रता दिवस 1994 के अवसर पर 'दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक' तथा गणतन्त्र दिवस 2001 के अवसर पर 'विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक' से सम्मानित किया गया है। वह अपनी उपलब्धियों के लिये सदैव हमारी स्मृति में बने रहेंगे।

दिनांक 15.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 267/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की झाँसी इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 15.05.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की झाँसी इकाई** द्वारा अनिल कुमार निवासी ग्राम रमपुरा थाना डकोर जनपद जालौन से कृषि भूमि की हदबन्दी की अग्रिम कार्यवाही कर पत्रावली को आगे बढ़ाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री श्याम सिंह के नेतृत्व में तहसील परिसर उरई जालौन से **राजस्व निरीक्षक संदीप कुमार तिवारी (क्षेत्र ऐर तहसील उरई जालौन)** पुत्र स्व0 श्रीपाल चन्द्र तिवारी निवासी ग्राम मौदहा मराठीपुरा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर, हालपता कालपी बस स्टैण्ड के पास, उरई जनपद जालौन **2-राजेन्द्र प्रसाद उर्फ लम्बरदार (प्राइवेट व्यक्ति)** पुत्र स्व0 हरिशंकर निवासी ग्राम व थाना कोटरा तहसील उरई जनपद जालौन को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 15.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 268/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बहराइच/थाना मोतीपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 14.05.2026 को थाना मोतीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फुट्टा चौराहा जंगल बलईगांव से पुरस्कार घोषित अभियुक्त टेक बहादुर नेपाली को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बंध में थाना मोतीपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–टेक बहादुर निवासी वार्ड नं0–4 गांव पालिका बैजनाथ थाना कोहलपुर जनपद बांके, नेपाल।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 14.05.2026 को थाना कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काली नदी पुल पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर

दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त नितिन उर्फ हरिओम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 25 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नितिन उर्फ हरिओम निवासी ग्राम मसौता थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना राजेसुल्तानपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/120बी/302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बृजलाल 2–चन्द्रेश को कठोर आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद इटावा/थाना बकेवर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना बकेवर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354ख भादवि व 3 सपठित धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुभाषचन्द्र को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————